महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं.17-3/2019(प्र.वि)/मसारावेविप्र/ दिनांक – 24/11/2021

कार्यालय आदेश

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से सम्बद्ध वेद पाठशालाओं एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों को **वेदों की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने की योजना** के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । प्रतिष्ठान से अनुदानित वेद पाठशालाएं और इकाइयां छात्रों के **पूर्ण रूप से आवासीय व्यवस्था** के अन्तर्गत ही संचालित होती हैं तथा वेदाध्ययन गुरु शिष्य परम्परा अनुसार ही कराया जाना अपेक्षित है । किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रतिष्ठान की नियमावली अनुसार ही कार्य हो इसलिये संस्थाओं/वेद पाठशालाओं/अध्यापकों/इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती है कि –

1. वेद पाठशाला में छात्रों की सुरक्षा, पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी- उत्तरदायित्व एवं व्यवस्था पूर्णतः पाठशाला-प्रबन्धन की रहेगी तथा गुरु शिष्य इकाई में अध्यापक गुरु की होगी।
2. अध्ययनरत समस्त छात्रों के स्वास्थ्य, भरण-पोषण, उनकी देख-रेख करना संस्थाओं/वेद एवं आधुनिक विषय अध्यापकों/इकाई गुरुओं का दायित्व है ।
3. वेद पाठशालाओं के समस्त अध्यापक, अध्यापन कार्य के अतिरिक्त बारी-बारी से छात्रों के आवास-भोजन व अन्य व्यवस्थाओं में संस्था के निर्देशानुसार सहयोग प्रदान करेंगे । छात्रावास व्यवस्था के उत्तरदायित्व को भी संस्था के निर्देशानुसार सम्भालेंगे ।
4. छात्रों का विद्यालय/स्थान/आवास परिसर से बाहर अनावश्यक घूमने को रोकना सुनिश्चित करेंगे । वेद परम्परा में प्रतिबन्धित आहार एवं खाद्य पदार्थों से छात्रों को दूर रखें ।
5. प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) परीक्षा हेतु सस्वर वेद अध्यापन कराना, छात्रों को आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना अथवा प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार प्रतिष्ठान का अन्य परीक्षा हेतु छात्रों को तैयार कर, योग्य मार्गदर्शन देकर प्रतिष्ठान परीक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा प्रतिष्ठान निर्देशानुसार प्रत्येक अध्यापक-अनुपात में सतत छात्रों की संख्या को बनाए रखना भी पाठशाला प्रबन्धन/अध्यापक/इकाई गुरु का उत्तरदायित्व रहेगा।
6. भारतीय परम्परा से सुनिश्चित वैदिक वेषभूषा- धोती, शिखा, तिलक, वैदिक आचार, व्यवहार तथा वेद स्वाध्याय विधि का सम्पूर्ण पालन करते हुए छात्रों से अनिवार्यतः इनका पालन कराना तथा प्रबन्धकों व अध्यापकों को भी पालन करना होगा । छात्रों से प्रतिनित्य वेद अध्यापन के बाद नित्य स्वाध्याय एवं संध्या कराना होगा।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

7. पाठशाला परिसर/इकाई स्थान में किसी भी प्रकार का तम्बाखु/नशीला पदार्थ/पानपराग आदि सेवन करना/बेचना/पास रखना/दूसरे को खिलाना सर्वथा प्रतिबन्धित होना चाहिये ।
8. किसी भी विवाद आदि से दूर रहकर निरन्तर छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम अनुसार सस्वर वेद अध्यापन कराते रहना होगा।
9. प्रतिष्ठान से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों की आवास एवं संपूर्ण पोषक भोजन की व्यवस्था संस्थाएं वेद पाठशालाओं में तथा ईकाइ के अध्यापक अपने आवास पर या किसी उपयुक्त स्थान पर ही करना सुनिश्चित करें ।

संस्थाएं/वेद पाठशालाएं/गुरु शिष्य परम्परा ईकाइयां उपर्युक्त बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्रवाई करना एवं अमल में लाना सुनिश्चित करे ।

16/11/2021

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त वेद पाठशालाएँ एवं गुरुशिष्य परम्परा इकाइयाँ।
2. अनुभाग अधिकारी, मसारावेविप्र, उज्जैन
3. सचिव जी के निजी सचिव, मसारावेविप्र, उज्जैन
4. कार्यालय आदेश मिसिल